

फर्द आहकाम
बनाम

नाम न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/1/2024	<p>पत्रावली पेश हुई वकील कारी उद्यम वादी ने दावे में अंकित दस्तावेजों को दिखते हुए वाद को डिकी किम जाने हेतु निवेदन किया। वादी का वाद डिकी किम जागह विप्लव किफयत प्रथक से लिखा भाग (सुभाभाभा) पत्रावली नम्बर से कागदों को द तकागीत दाखिल दाखिली (सुभाभाभा)</p> <p>उपखण्ड अभिलेखी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
	20/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई अन्य राज्य पत्रावली को पेश हुआ</p> <p>उपखण्ड अभिलेखी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
	22/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील कारी उद्यम वकील कारी की कथित सुनी गयी वकील वादी ने दावे में अंकित दस्तावेजों को दिखते हुए वाद को डिकी किम जाने हेतु निवेदन किया। वादी का वाद डिकी किम जागह विप्लव किफयत प्रथक से लिखा भाग (सुभाभाभा) पत्रावली नम्बर से कागदों को द तकागीत दाखिल दाखिली (सुभाभाभा)</p> <p>उपखण्ड अभिलेखी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

आज्ञा या
कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
दिनांक : 201/2024
दिनांक : 22.1.2025

उनवान

उर्फ राम कल्याण

पुत्रान स्व: श्री रुघा
श्री बेबा श्री रुघा

नारायण दत्तक पुत्र स्व. श्री शंकर

जाति माली निवासीयान ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

श्री सिंह राजावत पुत्र श्री छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी - भाटेड तहसील सांगानेर
जयपुर

उर्फ राम

नारायण पुत्रान स्व. श्री छोटू

राम पुत्र कल्याण उर्फ रामकल्याण

जाति माली निवासीयान ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर


प्रतिवादीगण

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 22.01.2025

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या लगायत 4 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.67 हेक्टेयर, 844 रकबा 99 हेक्टेयर, 845 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 861 रकबा 0.55 हेक्टेयर, 894 रकबा 0.31 हेक्टेयर, 895 रकबा 33 हेक्टेयर, 895/1608 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 897 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 898/1667 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 899 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 900 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 900/1609 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 901 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 902/1668 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 917 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 918 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 919 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 921 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 922 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 923 रकबा 0.45 हेक्टेयर, 924 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 925 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 1307 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1310 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 1311 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 1312 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 1314 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1315 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1319



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1324/1651 रकबा अनि 0.04 हेक्टेयर, 1325 रकबा 0.23 हेक्टेयर, 1326 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1327 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 1328 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1329 रकबा 0.48 हेक्टेयर, 1330/1669 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1332/1670 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1338 रकबा 0.42 हेक्टेयर, 1339 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 1340 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 1341 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1344 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1345 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1346 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1347 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1348 रकबा 0.22 हेक्टेयर, 1349 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1350 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1351 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1362 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1364 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1365 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1366 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1368/1659 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 1386 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1387 रकबा 0.35 हेक्टेयर, 1388 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1389 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1390 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1391 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1393 रकबा 0.21 हेक्टेयर कुल किता 63 कुल रकबा 13.17 हेक्टेयर स्थित सांगानेर जिला जयपुर में है। प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4 का पडौसी खातेदार है। प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1330 से 1337 तक का फायदा उठा कर दिनांक 11.11.2014 को प्रातः प्रतिवादी नम्बर 1 नें वादीगण की उपरोक्त भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण करने के लिये नीव खुदवाना चालू कर दिया। वादीगण में प्रतिवादी नम्बर 1 को तुरन्त मना किया कि वह वादीगण की भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण नहीं करें। इस पर प्रतिवादी नम्बर 1 नें कहा कि मैंने अतिक्रमण नहीं किया है। इस पर वादीगण नें मौके पर नाप कर बताया कि आप हमारी जमीन में अतिक्रमण कर निर्माण करा रहे हैं, आप चाहें तो सीमा ज्ञान कराकर निर्माण कराया निर्माण रोकें। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 नें कहा कि मैं तो मेरे हिसाब से निर्माण करूंगा, तुम्हें जो करना हो सो कर लो। ज्यादा करोगे तो गोली निकाल दूंगा। व गाडी से रौंद दूंगा। प्रतिवादी नम्बर 1 को तुरन्त थाने वालो नें स्पष्ट कहा कि हमारा काम निर्माण रूकवाना नहीं है आप न्यायालय में कार्यवाही करे। प्रतिवादी नम्बर 1 को किसी भी कानून में यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादीगण की भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण करावे तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को अपनी भूमि में अतिक्रमण करवाने से रूकवाये व अतिक्रमण मुक्त करावे, जिसके लिये न्यायालय के समक्ष यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस दावे के लिये वाद कारण दिनांक 11.11.2014 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 1 में वादीगण की भूमि में अतिक्रमण कर नीव खुदवा कर निर्माण चालू किया, तब से अतिक्रमण जारी है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण की भूमि पर न तो अतिक्रमण कर निर्माण करें ना ही वादीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करें। आज्ञात्मक अतिक्रमण करवाती प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आशय का दिया जावे कि उसके द्वारा जो निर्माणात वादीगण की भूमि में अतिक्रमण कर करा लिया है, उसे हटा लेवे तथा इसमें चूक करे तो जरिये न्यायालय अतिक्रमण हटवाया जावे। दावे का हर्जा खर्चा वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 से दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध 26.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों के आधार पर अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रार को रखाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि में निर्माण कर कब्जा करें ना ही निर्माण करें, ना ही वादीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करें। प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आशय का दिया जावे कि उसके द्वारा जो निर्माणात वादीगण अतिक्रमण कर लिया है, उसे हटा लेवे तथा इसमें चूक करें तो जरिये न्यायालय अतिक्रमण दायरे में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की वहास पर हम इस निकर्ष पर पहुंचे हे कि वाके ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की पुश्तैनी शामिली खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 0.67 हेक्टेयर, 844 रकबा 0.99 हेक्टेयर, 845 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 861 रकबा 0.55 हेक्टेयर, 862 रकबा 0.31 हेक्टेयर, 895 रकबा 0.33 हेक्टेयर, 895/1608 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 897 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 898/1667 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 899 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 900 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 900/1609 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 901 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 902/1668 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 917 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 918 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 919 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 921 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 922 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 923 रकबा 0.45 हेक्टेयर, 924 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 925 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 1307 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1308 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 1311 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 1312 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 1314 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1315 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1319 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1324/1651 रकबा अनि 0.04 हेक्टेयर, 1325 रकबा 0.23 हेक्टेयर, 1326 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 1327 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 1328 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1329 रकबा 0.48 हेक्टेयर, 1330/1669 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1332/1670 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1333 रकबा 0.42 हेक्टेयर, 1339 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 1340 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 1341 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1344 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1345 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1346 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1347 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1348 रकबा 0.22 हेक्टेयर, 1349 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1350 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1351 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1362 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1363 रकबा 0.23 हेक्टेयर, 1364 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1365 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1366 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1368/1659 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 1386 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1387 रकबा 0.35 हेक्टेयर, 1388 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1389 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1390 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1391 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1392 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 1393 रकबा 0.21 हेक्टेयर कुल 83 कुल रकबा 13.17 हेक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में दखल ना देना कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।


उपरोक्त अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम साँगानेर जिला जयपुर स्थित वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की पुरतनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.67 हेक्टेयर, 844 रकबा 0.99 हेक्टेयर, 845 रकबा 0.55 हेक्टेयर, 894 रकबा 0.31 हेक्टेयर, 895 रकबा 0.33 हेक्टेयर, 895/1608 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 897 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 898/1667 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 899 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 900/1609 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 901 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 902/1668 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 917 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 918 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 919 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 921 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 922 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 923 रकबा 0.45 हेक्टेयर, 924 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 925 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1307 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1310 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 1311 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 1312 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1314 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 1315 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1319 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1325 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1325 रकबा 0.23 हेक्टेयर, 1326 रकबा 0.30 हेक्टेयर, 1327 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1328 रकबा 0.25 हेक्टेयर, 1329 रकबा 0.48 हेक्टेयर, 1330/1669 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1338 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1338 रकबा 0.42 हेक्टेयर, 1339 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 1340 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1341 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1344 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1345 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1346 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1347 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1348 रकबा 0.22 हेक्टेयर, 1349 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1351 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1351 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1362 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1363 रकबा 0.23 हेक्टेयर, 1364 रकबा 0.12 हेक्टेयर, 1365 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1366 रकबा 0.13 हेक्टेयर, 1368/1659 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 1386 रकबा 0.02 हेक्टेयर, 1387 रकबा 0.35 हेक्टेयर, 1388 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 1390 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 1390 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1391 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1392 रकबा 0.60 हेक्टेयर, 1393 रकबा 0.21 हेक्टेयर कुल किता 63 कुल रकबा 13.17 हेक्टेयर स्थित भूमि में प्रतिवादी संख्या को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे कारत में उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय के मुताबिक डिक्री प्रक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

20/1/25